सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी डा. गुजन सोनी, आर0ए0एस0
अपील प्रकरण सं0 01/2013

1. बलवीर सिंह पुत्र बहाल सिंह जाति जटसिख निवासी 6 बी तहसील पदमपुर व जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थी

बनाम

1. जग्गा सिंह
2. श्याम सिंह
3. भोला सिंह
4. बगड़ सिंह

पुत्रगण बन्तासिंह जाति जटसिख निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमागढ (राज0)

5. गणेशरानी पत्नी दर्शनसिंह पुत्री बन्ता सिंह जाति जटसिख निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
6. भोलो पत्नी मन्दर सिंह पुत्री बन्ता सिंह जाति जटसिख निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
7. रानी पत्नी मलकीयत सिंह पुत्री बन्ता सिंह जाति जटसिख निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
8. करनैल सिंह
9. भोला सिंह
10. गुरनाम सिंह

पुत्रगण बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 19 बीबी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर

11. गेजो पत्नी जोगेन्द्रसिंह पुत्री बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 19 बीबी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
12. बोगा सिंह पुत्र बहाल सिंह जाति जटसिख निवासी 19 बीबी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पदमपुर

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व आदेश तहसीलदार पदमपुर
इन्तकाल संख्या 142 दिनांक 04.06.1993

उपस्थित :
1.श्री मोहनलाल माहर अधिवक्ता अपीलार्थी
2.श्री सुभाष मिढा अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस संख्या 08 ता 11

:: आदेश :: दिनांक :– 17.07.2020

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलाधीन आदेश एक पक्षीय रूप से विधि विरूद्व तरीके से बिना क्षेत्राधिकार पारित किया गया है। विवादित आराजी मूलतः रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 7 के पिता, बन्ता सिंह पुत्र चन्द सिंह, रेस्पोडेन्ट संख्या 8 ता 11 के पिता बलदेव सिंह पुत्र चन्दसिंह तथा रेस्पोडेन्ट 11–12 के पिता तथा पति टेक सिंह पुत्र चन्द सिंह के नाम से मुश्तर्का खाता में वाके चक 6 बीबी के मुरब्बा नम्बर 11,14,15,28,39 कुल 39.16 अर्थात 796 हिस्सा में प्रत्येक के नाम 140 हिस्सा खातेदारी दर्ज थी शेष हिस्सा बग्गासिंह

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

पुत्र रतन सिंह के नाम से 376 हिस्सा दर्ज था। सहखातेदार बलदेव सिंह तथा बन्ता सिंह पिता चन्द सिंह ने अपने प्रत्येक 140–140 हिस्सा में से कमशः 50 हिस्सा तथा 80 हिस्सा अर्थात 130 हिस्सा (6.10) आराजी को बैयनामा दिनांक 02.07.1980 का रसीद संख्या 1161 के द्वारा मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 12/0.10, 13 ता 15/ 3.00, 18 ता 80/3.00 कुल 6.10 बीघा हस्तान्तरण अपीलार्थी को किया गया और बैय के रोज से मौके पर आराजी 6.10 बीघा का कब्जा सौंप दिया। आराजी के हस्तान्तरण से आज दिनांक तक कब्जा अपीलार्थी का चला आ रहा है। बैयनामा का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद इन्तकाल संख्या 169 दिनांक 15.04.1994 को किया जा चुका है। सह खातेदार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 7 पिता–पति बन्ता सिंह ने पूर्व बेचान शुदा कुल 140 हिस्सा में से 80 हिस्सा पुनः बेचान रेस्पोडेन्ट संख्या 12 को 130 हिस्सा का हस्तान्तरण दिनांक 02.07.1980 को रसीद संख्या 1162 के द्वारा किया गया जबकि बन्ता सिंह को पुनः आराजी बेचान करने का कोई हक व अधिकार हासिल नहीं था। इस प्रकार विधि शून्य (I legal & void Abnatio) इन्तकाल संख्या 142 दिनांक 04.06.1993 को निरस्त किया जाना न्यायोचित होगा। अपीलाधीन आदेश एक पक्षीय रूप से बिना प्रभावित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित किया गया है। पूर्व बेचान जब अपीलार्थी को किया गया था तो पूर्ववती अपीलार्थी के बैयनामा के आधार पर तस्दीक होना था जबकि रेस्पोडेन्ट ने राजस्व अधिकारीयों एवं कर्मचारीयों की मिलीभगत से अपीलाधीन इन्तकाल तस्दीक किया गया। राजस्व रिकॉर्ड में बलदेव सिंह बन्ता सिंह एवं टेकसिंह पिता चन्द सिंह के नाम संयुक्त रूप से 420 हिस्सा अर्थात प्रत्येक का 140–140 हिस्सा खातेदारी दर्ज था जिसमें से संयुक्त रूप से बन्ता सिंह ने बहिस्सा व बलदेव सिंह ने 50 हिस्सा का बेचान किया तो बन्ता सिंह के पास शेष 60 हिस्सा ही रहता है इसलिये बन्ता सिंह द्वारा पश्चात् वर्ती बैयनामा के आधार पर किया गया। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रकिया की पालना नहीं की गई है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व कब्जा की जांच भी कतई नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने महत 15 दिनों में ही इन्तकाल तस्दीक कर कानूनी भूल की है। अपीलाधीन आदेश में चूंकि आराजी का हस्तांरण पूर्व में अपीलार्थी को किया गया था इसलिये अपीलार्थी हितबद्व पक्षकार है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन इन्तकाल संख्या 142 दिनांक 04.06.1993 को निरस्त फरमाया जावें ।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी मूलतः रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 7 के पिता, बन्ता सिंह पुत्र चन्द सिंह, रेस्पोडेन्ट संख्या 8 ता 11 के पिता बलदेव सिंह पुत्र चन्दसिंह तथा रेस्पोडेन्ट 12 के पिता तथा पति टेक सिंह पुत्र चन्द सिंह के नाम से मुर्शतका खाता में वाके चक 6 बीबी के मुरब्बा नम्बर 11,14,15,28,39 कुल 39.16 अर्थात 796 हिस्सा में प्रत्येक के नाम 140 हिस्सा खातेदारी दर्ज थी शेष हिस्सा बग्गा सिंह पुत्र रतन सिंह के नाम से 376 हिस्सा दर्ज था। सहखातेदार बलदेव सिंह तथा बन्ता सिंह पिता चन्द सिंह ने अपने प्रत्येक 140–140 हिस्सा में से कमशः 50 हिस्सा तथा 80 हिस्सा अर्थात 130 हिस्सा (6.10) आराजी को बैयनामा दिनांक 02.07.1980 का

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

रसीद संख्या 1161 के द्वारा मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 12/0.10, 13 ता 15/ 3.00, 18 ता 80/3.00 कुल 6.10 बीघा हस्तान्तरण अपीलार्थी को किया गया और बैय के रोज से मौके पर आराजी 6.10 बीघा का कब्जा सौंप दिया। आराजी के हस्तान्तरण से आज दिनांक तक कब्जा अपीलार्थी का चला आ रहा है। बैयनामा का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद इन्तकाल संख्या 169 दिनांक 15.04.1994 को किया जा चुका है। सह खातेदार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 7 पिता–पति बन्ता सिंह ने पूर्व बेचान शुदा कुल 140 हिस्सा में से 80 हिस्सा पुनः बेचान रेस्पोडेन्ट संख्या 12 को 130 हिस्सा का हस्तान्तरण दिनांक 02.07.1980 को रसीद संख्या 1162 के द्वारा किया गया जबकि बन्ता सिंह को पुनः आराजी बेचान करने का कोई हक व अधिकार हासिल नहीं था। इस प्रकार विधि शून्य (I legal & void Abnatio) इन्तकाल संख्या 142 दिनांक 04.06.1993 को निरस्त किया जावे। अपीलाधीन आदेश में चूंकि आराजी का हस्तांरण पूर्व में अपीलार्थी को किया गया था इसलिये अपीलार्थी हितबद्व पक्षकार है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन इन्तकाल संख्या 142 दिनांक 04.06.1993 को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस निम्न नजीर पेश की गई :–

1. आर.आर.टी. 2016 (2) पेज–1286 1289

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 8 ता 11 ने अपनी बहस में कथन किया कि इन्तकाल संख्या 142 दिनांक 06.04.1993 का है। अपील जो पेश की गई है वह वर्ष 2013 में पेश की गई है जो लगभग 20 वर्ष बाद पेश की गई जो मियाद से बाहर है अतः मियाद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावें क्योंकि अधिवक्ता अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम दफा 5जो पेश किया है उसमें अंकित किया है कि हमारा उपखण्ड अधिकारी के समक्ष वाद जेरकार है जिसमें अस्थाई निषेधज्ञा 6.10 बीघा का प्राप्त हुआ है। उपखण्ड अधिकारी के वाद 62/2007 जो वर्ष 2007 से विचाराधीन है जबकि अपील वर्ष 2013 में पेश की है। अतः मियाद का बिन्दु स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं है। इन्तकाल संख्या 142 रेस्पोडेन्ट संख्या 12 के नाम से दर्ज जो सैलडीड के आधार पर दर्ज किया गया है सैलडीड के आधार पर दर्ज इन्तकाल को निरस्त नहीं करवाया जा सकता। सैलडीड/बैयनामा को पहले सिविल कोर्ट से निरस्त करवावें। सैलडीड अपीलार्थी द्वारा निरस्त नहीं करवाई गई है। उक्त विवादित भूमि के सम्बन्ध में दावा विचाराधीन है। इन्तकाल निरस्त की कार्यवाही दावा विचाराधीन होने पर नहीं की जा सकती है। इन्तकाल एक फिसिकल प्रासिडिंग है। अतः अपील अपीलार्थी निरस्त फरमाई जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने इस बाबत निम्न नजीरे पेश की :–

1. आर.आर.टी. 2019 (2) पेज–1118–1120
2. 2010 डीएनजे (एस.सी.) पेज– 294–301
3. 2010 (1) डीएनजे (राज.) पेज– 400

अधिवक्ता अपीलान्ट को दौराने बहस कथन किया कि इन्तकाल संख्या 142 जिसे अपील में चैलेंज किया गया है। इन्तकाल संख्या 142 की भूमि बन्ता सिंह ने बोगा सिंह को जमीन बेची है। दावा रेस्पोडेन्ट संख्या 08 ता 11 बेचानकर्ता का विचाराधीन है। दावा विचाराधीन होते हुए इन्तकाल को पैण्डिग नहीं रखा जा सकता क्योंकि इन्तकाल को Abeyance में नहीं रख सकते।

अति. जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया तो पाया कि विवादित आराजी मूलतः रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 7 के पिता, बन्ता सिंह पुत्र चन्द सिंह, रेस्पोडेन्ट संख्या 8 ता 11 के पिता बलदेव सिंह पुत्र चन्दसिंह तथा रेस्पोडेन्ट 12 के पिता तथा पति टेक सिंह पुत्र चन्द सिंह के नाम से मुश्तका खाता में वाके चक 6 बीबी के मुरब्बा नम्बर 11,14,15,28,39 कुल 39.16 अर्थात 796 हिस्सा में प्रत्येक के नाम 140 हिस्सा खातेदारी दर्ज थी बैयनामा दिनांक 02.07.1980 का रसीद संख्या 1161 के द्वारा मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 12/0.10, 13 ता 15/ 3.00, 18 ता 80/3.00 कुल 6.10 बीघा हस्तान्तरण अपीलार्थी को किया गया। बैयनामा का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद इन्तकाल संख्या 169 दिनांक 15.04.1994 को किया गया है। सह खातेदार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 7 पिता–पति बन्ता सिंह ने पूर्व बेचान शुदा कुल 140 हिस्सा में से 80 हिस्सा पुनः बेचान रेस्पोडेन्ट संख्या 12 को 130 हिस्सा का हस्तान्तरण दिनांक 02.07.1980 को रसीद संख्या 1162 के द्वारा किया गया जबकि बन्ता सिंह को पुनः आराजी बेचान करने का कोई हक व अधिकार हासिल नहीं होता। चक 6 बी.बी. पटवार हल्का पनावाली भू.अ.निरीक्षक रतेवाला तहसील पदमपुर के इन्तकाल रजिस्टर के अवलोकन से पाया गया कि इन्तकाल संख्या 142 जिसे पटवारी द्वारा दिनांक 19.05.1993 को भरा जाकर दिनांक 04.06.1993 को स्वीकृत किया गया जबकि इन्तकाल संख्या 169 जिसे पटवारी हल्का द्वारा 09.04.1993 को भरा जाकर दिनांक 15.04.1994 को स्वीकृत किया जाना भी लापरवाही का घोतक है। फलस्वरूप तहसीलदार पदमपुर द्वारा स्वीकृत इन्तकाल संख्या 142 जो भरा गया है विधिसम्मत् प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर तहसीलदार पदमपुर द्वारा स्वीकृत इन्तकाल संख्या 142 निरस्त किया जाता है। तहसीलदार पदमपुर को आदेश की प्रति भिजवाई जावें एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें।

आदेश आज दिनांक 17.07.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डा. गुजन सोनी)
अति0 जिला कलेक्टर
(प्रशासन) श्रीगंगानगर।

अति. जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned with CamScanner